N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0057 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/03/2025 16:59 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** बुधवार **Date From (दिनांक से):** 23/10/2024 **Date To (दिनांक तक):** 23/10/2024

   Time Period (समय अवधि): पहर 7 **Time From (समय से):** 18:00 बजे **Time To (समय तक):** 19:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/03/2025 **Time (समय):** 10:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/03/2025 16:59:47 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 05 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** POLICE THANA KHO NAGORIYA PARISAR, JAIPUR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SURESH KUMAR SWAMI

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 14/12/1973 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	43, KANAK VRNDAVAN PRAEM, BAJRI MANDI ROAD, VISHALI MARGI WEST, GANDHI NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	43, KANAK VRNDAVAN PRAEM, BAJRI MANDI ROAD, VISHALI MARGI WEST, GANDHI NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BALVEER SINGH YADAV		पिता:RAMKISHAN YADAV	1. GOAN BADIYAL KHURD,BASWA,DAUSA,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	तीन लाख रूपये	3,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि परिवादी श्री शैलेश कुमार धाकड़ उर्फ शैलु द्वारा दिनांक 22.10.2024को उसके व उसके भाई श्यानू कुमार उर्फ सोनू धाकड़ के विरूद्ध पुलिस थाना खोह-नागोरियान जयपुर में दर्ज प्रकरण सं. 745/2024 में दोनों को निकालने की एवज में आरोपी श्री बलवीर सिंह यादव, एएसआई द्वारा दिनांक 21.10.2024 को पुलिस थाना खोह नागोरियान जयपुर में स्वयं की मौजूदगी में अपने विश्वस्त दलाल केशव सिंह से मिलीभगत कर श्री केशव सिंह के मार्फत श्री शैलेश कुमार धाकड व उसके भाई सोनू धाकड़ से एक लाख रूपये रिश्वती राशि की मांग कर मौके पर दबाव डालकर 16000/- रूपये जरिये फोन-पे रामनिवास शर्मा के पुत्र हरिओम के खाते में डलवाने, उक्त राशि रामनिवास द्वारा एटीएम से निकालकर केशव सिंह के मार्फत थानेदार श्री बलवीर सिंह यादव को देने, शेष 84000/- रूपये की व्यवस्था करने के लिये श्री शैलेश कुमार धाकड को थाने से फ्री करने व उसके भाई सोनू धाकड को थाने में ही बिठाये रखने की शिकायत पर दिनांक 23.10.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दलाल केशव सिंह द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि के 84000/- रूपये मांग कर उक्त रिश्वत राशि में से स्वयं के लिये 14000/- रूपये व 70000/- रूपये श्री बलवीर सिंह यादव थानेदार के लिए मांग करना तथा दलाल केशव सिंह द्वारा बलवीर सिंह यादव को जरिये फोन कर रिश्वत राशि के बारे में अवगत कराने के तथ्यों की पुष्टि होने पर आज दिनांक 23.10.2024 को दौराने रिश्वत राशि लेन-देन में परिवादी श्री शैलेश कुमार धाकड़ (शैलू धाकड) से श्री बलवीर सिंह यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस के लिये दलाल श्री केशव सिंह द्वारा 50000/- रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करना पाया जाने पर आरोपी केशव सिंह के पहनी हुई पेंट के पीछे की दांयी जैब से बरामद की गई, जिस पर आरोपीगण श्री बलवीर सिंह यादव एएसआई व केशव सिंह का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7क, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 बीएनएस 2023 के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर गिरफ्तार किया गया। वगैरा-वगैरा पर प्रकरण सं. 237/2024 दिनांक 25.10.2024 अन्तर्गत धारा 7क, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 बीएनएस 2023 में दर्ज किया गया। दिनांक 23.10.2024 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री बलवीर सिंह यादव, एएसआई के पुलिस थाना खो नागौरियान के परिसर में स्थित निवास स्थान सरकारी क्वाटर की तलाशी एएसआई के हमराह ली गई। क्वाटर की तलाशी में उसके रिहायशी कमरे के अन्दर रखे लोहे के बक्से में 500-500 रूपये की तीन गड्डीयां, कुल राशि 1,50,000/- रूपये मिले तथा 5.5 लाख की एसबीआई बैंक की तीन एफडीआर क्रमशः खाता नं0 39137266901, 39137267360 एवं 39137267144 मिली एवं साथ ही दीवार में बनी रैक में रखे कपडों के बीच में अलग अलग एकत्रित किये गये 500 के 5 नोट, 500 के 20 नोट, 500 के 19 नोट एवं 100 रूपये के 100 नोट मिले, जो कुल 32000/-रूपये हुए। इस प्रकार रिहायशी कमरे 182,000/- रूपये मिले,जिसके बारे में श्री बलवीर सिंह यादव द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही देने पर संदिग्ध राशि मय तीनो एफडीआर को कब्जा एसीबी लिया गया था। तत्पश्चात् ट्रेप कार्यवाही के दौरान ही पुलिस थाना खो-नागौरियान भवन में स्थित आरोपी श्री बलवीर सिंह यादव के अनुसंधान कक्ष की तलाशी उसके समक्ष ली गई तो उसकी कार्यालय टेबल के ऊपर श्री बलवीर सिंह यादव के नाम अनुसंधानाधीन पत्रावलियां मिली, जिनके नीचे एक गुच्छे में दो चाबियां मिली, जिसके बारे में श्री बलवीर सिंह ने टेबल की दराज की चाबीयां होना बताया। उक्त चाबी से टेबल की दांई साईड की उपर की दराज खोलकर चैक किया गया तो उसमें एक आसमानी रंग के गिफ्टेड लिफाफे में 500 रू. के 78 नोट, 200 रू. के 5 नोट, कुल राशि 40000/-रूपये, श्री बलवीर सिंह यादव का एक पेनकार्ड नं. एबीसीपीवाई6725बी व एक चैक बुक खाता सं. 5173571902 एसबीआई बैंक कानौता, जयपुर वदूसरी चाबी से टेबल की नीचे की दराज खोला तो उसमें 500रू. के 100 नोट, राशि 50000/-रूपये एवं 500रू. के 56 नोट, राशि 28000/-रूपये मिले। इस प्रकार कुल राशि 118000/-रूपये संदिग्ध अवस्था में पाई गई जिसमें संबंध में उपस्थित श्री बलवीर सिंह यादव से पूछा गया तो उक्त रूपये स्वयं के खर्चे के लिए होना बताये, एएसआई का उक्त जबाव सन्तोषप्रद नही होने पर उक्त राशि को संदिग्ध मानते हुये व पेन कार्ड को कब्जा एसीबी लिया गया था। गिफ्तारशुदा आरोपी श्री बलवीर सिंह से दिनांक 25.10.2024 को पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ के दौरान उसने अपने कार्यालय कक्ष में मिली राशि के सम्बंध में एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया कि 1,18,000/- रूपयें मेरे निजी रूपये है, जो मेरे साले मांगीलाल जी की बेटी तारा व दीक्षा की शादी का सामान खरीददारी हेतु मेरा बेटा अपने मामा के गांव से लेकर आया था। आरोपी द्वारा दिया गया उक्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नही है क्योकि आरोपी श्री बलवीर सिंह से

अपने साले की लड़कियो की शादी की तारीख बाबत् पूछा तो तारीख याद नहीं होना बताया और जो रूपये उसकी टेबल की दराजो में मिले वो रूपये अलग-अलग बंच के रूप में अलग-अलग स्थानो पर मिले है, अगर उसका लड़का अपने मामा के यहां से रूपये लाकर देता तो उक्त रूपयो का एक हीं बंच व एक ही जगह पर मिलते। इसी प्रकार सरकारी आवास के स्वयं के रिहायशी कमरे में मिले 150000/- रूपये की तीन गड्डिया व दीवार में बनी रैक में कपड़ो के बीच अलग-अलग बंच में अलग अलग स्थान पर रखे गये 500 के 5 नोट कुल 2500 रूपये, 500/- के 20 नोट कुल 10000/-रूपये, 500 के 19 नोट कुल 9500/- रूपये एवं 100 रूपये के 100 नोट कुल 10000/-रूपये मिले जो कुल 32000/-रूपये हुए। इस प्रकार सरकारी आवास के रिहायशी कमरे में मिले 182000/- रूपये मिले। उक्त संदिग्ध राशि के बारे में आरोपी ने ट्रेप कार्यवाही के दौरान बताया कि मैं उक्त रूपये में से 150000/- रूपये अपने परिचित महेन्द्र जी शर्मा व मुरारीलाल से उधार लाना बताया जिसके संबंध में श्री महेद्र कुमार शर्मा व श्री मुरारी लाल शर्मा से पुछताछ कर बयान लेखबध्द किये गये जिसमें श्री महेद्र कुमार शर्मा ने बताया कि वर्ष 2023 में की लडकी की शादी में श्री बलवीर सिंह ने मेरे से दो लाख रूपये उधार लिये थे जो उसने मुझे लौटा दिये तथा अप्रेल 2024 को मेरी लडकी शादी में मैंने बलवीर सिंह से दो लाख रूपये उधार लिये थे जिसमें से एक लाख रूपये माह जून में लौटाये और एक लाख रूपये (साठ हजार रूपये 500-500 के नोट व चालीस हजार रूपये 200, 100 रूपये के नोट) 13-14 अक्टुबर 2024 को लौटाये थे। इसी तरह श्री मुरारी लाल शर्मा ने अपने कथनों में बताया की श्रीबलवीर सिंह दिनांक 19.10.2024 को मेरे पचास हजार (500/-के नोट) रूपये कार खरीदने के लिये उधार लेकर गया था, जो रूपये मैंने उसे अपने घर पर दिये थे। श्री बलवीर सिंह के सरकारी आवास के रिहायशी कमरे में मिले 150000/- रूपये की तीन गड्डियां व दीवार में बनी रैक में कपड़ो के बीच अलग-अलग बंच में अलग अलग स्थान पर मिले 500 के 5 नोट कुल 2500 रूपये, 500 के 20 नोट कुल 10000/-रूपये, 500 के 19 नोट कुल 9500/-रूपये एवं 100 रूपये के 100 नोट कुल 10000/- रूपये मिले,जो कुल 32000/-रूपये हुए। इस प्रकार सरकारी आवास के रिहायशी कमरे में मिले 182000/-रूपये संग्दिध राशि है क्योकि श्री बलवीर सिंह द्वारा 50000/-रूपये श्री मुरारी लाल शर्मा व 150000/-हजार रूपये श्री महेन्द्र कुमार शर्मा से उधार लेना बताया है जिसमें श्री मुरारी लाल शर्मा द्वारा दिनांक 19.10.2024को पचास हजार रूपये उधार देना बताया है जबकि श्री महेन्द्र कुमार शर्मा ने दिनांक 13-14 अक्टूबर को एक लाख रूपये बलवीर सिंह को अपनी उधारी के देना बताया है, जिसमें साठ हजार रूपये 500 के नोट व शेष चालीस हजार रूपये 200-100 रूपये के नोट होना बताया है। आवास की तलाशी के दौरान 500 रूपये की नोट की तीन गड्डीयां व अलग अलग बंच के रूप में भी पांच सौ रूपये के 44 नोट मिले व 100 रूपये के 100 नोट मिले। उक्त राशि में 200 रूपये का कोई नोट नही मिला। इस प्रकार आरोपी श्री बलवीर सिंह द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अमान्य है। इसके अलावा श्री महेन्द्र कुमार शर्मा ने अपने कथनों अंकित करवाया कि श्री बलवीर सिंह ने अपनी लडकी की शादी में दो लाख रूपये मेरे से उधार लिये थे जो उसने लौटा दिये और अप्रेल 2024 में मेरी लडकी की शादी में मैंने दो लाख रूपये श्री बलवीर सिंह से उधार दिये थे। इस प्रकार आरोपी श्री बलवीर सिंह द्वारा चार लाख रूपये का लेनदेन श्री महेन्द्र कुमार शर्मा के किया है जिसके संबंध में जांच किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार श्री बलवीर सिंह यादव के कार्यालय कक्ष में मिली संदिग्ध राशि 1180000/- रूपयें व उसके सरकारी आवास के रिहायशी कमरे में मिली 182000/-रूपये की राशि आरोपी श्री बलवीर सिह यादव तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक पुलिस,पुलिस थाना खो-नागोरियान जयपुर पूर्व आयुक्तालय जयपुर द्वारा अवैध पारितोषण के रूप में अर्जित किया जाना प्रथम दृष्टया पाया गया है। अतः आरोपी श्री बलवीर सिंह यादव पुत्र श्री रामकिशन यादव उम्र 47 साल निवासी गांव बड़ियाल खुर्द पुलिस थाना बसवा तहसील बसवा जिला दौसा तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक पुलिस,पुलिस थाना खो-नागोरियान जयपुर पूर्वआयुक्तालय जयपुर के खिलाफ वन-डे डीए केस चैक अवधि दिनांक 23.10.2024 माना जा कर धारा 13(1)(बी) 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) उपरोक्त् धाराओ में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है। (सुरेश कुमार स्वामी) उपअधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय जयपुर...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर नगर तृतीय जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 13(1)(बी) 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बलवीर सिंह यादव पुत्र श्री रामकिशन यादव उम्र 47 साल निवासी गांव बड़ियाल खुर्द पुलिस थाना बसवा तहसील बसवा जिला दौसा तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक पुलिस,पुलिस थाना खो-नागोरियान जयपुर पूर्वआयुक्तालय जयपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ओमप्रकाश किलानिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-द्वितीय को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 328 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 316-19 दिनांक 18-03-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर । 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3-पुलिस उपायुक्त(मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर । 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय जयपुर। पुलिस अधीक्षक-

प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** OMPRAKASH KELANIA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 18/03/2025 17:0

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	06/06/1977				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)